कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–3 / यूजी–2024 / 2918 लखनऊ:दिनांक 23/12/ 2024

यू0पी0 नीट यू0जी0 2024 के अन्तर्गत स्पेशल स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड– ।।। मे प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना / निर्देश।

- स्पेशल स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड– ।।। हेतु वहीं अभ्यर्थी अर्ह होंगें, जिन्हें यू0पी0 नीट यू0जी0–2024 के किसी भी चक्र की काउन्सिलिंग से कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।

- स्पेशल स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड– ।।। हेतु नीट यू0जी0–2024 की ऑल इण्डिया तथा अन्य राज्यों की काउंसिलिंग के किसी भी चक्र के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे।

- यू0पी0 नीट यू0जी0–2024 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय चक्र, स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड एवं स्पेशल स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड से Admitted/Not Reported after allotment/Resigned अभ्यर्थी स्पेशल स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड– ।।। हेतु अर्ह नहीं हैं।

- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड में पूर्व में पंजीकरण कराया था, किन्तु किन्ही कारणो से पंजीकरण शुल्क एवं सिक्योरिटी धनराशि जमा नहीं कर सके थे, तो निर्धारित तिथि व समय के अन्तर्गत पंजीकरण शुल्क एवं सिक्योरिटी धनराशि जमा कर स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड– ।।। में प्रतिभाग कर सकते हैं। पंजीकरण धनराशि किसी भी दशा मे वापस नहीं किया जायेगा अर्थात् Non Refundable होगा।

- स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउन्सिलिंग में पंजीकृत एवं अनावंटित, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में धरोहर धनराशि जमा की गयी है, उन्हें स्पेशल स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड– ।।। की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं की जायेगी, वह च्वाईस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।

- निजी क्षेत्र की सीटों हेतु अभ्यर्थी को रू0 2,00,000 /– की धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।

- काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को विशेष रूप से सलाह दी जाती है, कि धरोहर धनराशि जमा करते समय अपने स्वयं के बैंक खाते का उपयोग करें, काउन्सिलिंग समाप्त होने के उपरान्त् अनावंटित एवं प्रवेशित अभ्यर्थियों की धरोहर धनराशि उसी बैंक खाते मे नियमानुसार वापस की जायेगी, जिस खाते से धरोहर धनराशि का भुगतान किया गया है।

- यदि कोई अभ्यर्थी स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड– ।।। से आवंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यू0पी0 नीट यू0जी0 काउंसिलिंग 2025–26 के लिये प्रतिबंधित**(Debar)** कर दिया जायेगा।

- ***निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज / विश्वविद्यालय में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम मे प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती हैं कि च्वाइस फिलिंग के पूर्व सम्बन्धित कालेज के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही च्वाईस लॉक करें।***

- शैक्षणिक सत्र 2024–25 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी, गैर–अल्पसंख्यक कालेज / संस्थान / विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले समस्त शुल्क **(Fee Structure)** सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 28.10.2024, जो विभागीय वेबसाईट **www.dgme.up.gov.in** तथा **www.upneet.gov.in** पर उपलब्ध है, का अवलोकन करने के पश्चात् ही **Choice Fill** करें।

- शैक्षणिक सत्र 2024–25 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक मेडिकल कालेजों द्वारा लिये जाने वाले समस्त शुल्क **(Fee Structure)** विभागीय वेबसाईट **www.dgme.up.gov.in** तथा **www.upneet.gov.in** पर उपलब्ध है, का अवलोकन करने के पश्चात् ही **Choice Fill** करें।

- यू0पी0 नीट यू0जी0–2024 के अन्तर्गत स्पेशल स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड– III की काउंसिलिंग में, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण / सिक्योरिटी धनराशि जमा की गयी हैं एवं उनके **Documents Online Verification** के उपरान्त वैध पाये गये हैं, ऐसे अभ्यर्थी ही च्वाईस फिलिंग की प्रक्रिया हेतु अर्ह है।

- अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल कालेज. की सीटों पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन **Choice Fill** की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

- **ऑनलाइन च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है। च्वाईस लॉक न करने की स्थिति में अभ्यर्थी को सीट आवंटन की प्रकिया मे सम्मिलित नहीं किया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।**

- अभ्यर्थी द्वारा **Choice Lock** करने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव अथवा परिवर्तन नहीं हो सकेगा और न ही इस संबंध में महानिदेशालय में प्राप्त किसी भी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जायेगा।

- आवंटन प्रकिया के समय यदि अल्पसंख्यक श्रेणी की कोई भी सीट रिक्त रह जाती है, तो ऐसी सीटों को शासनादेश संख्याःआई0 / 700717 / 2024, दिनांक 26.07.2024 में निहित तालिकानुसार अनारक्षित श्रेणी में आमेलित**(Merge)**करते हुए आवंटन प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।

- यू0पी0 नीट यू0जी0 2024 का शासनादेश एवं ब्रोशर विभागीय वेबसाइट **https://upneet.gov.in** तथा **https://dgme.up.gov.in** पर उपलब्ध है। अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु विभागीय वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

कृते महानिदेशक।